श्री राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा दिनांक 08.08.2018 को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बक्सर का किये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के आलोक में दिनांक 08.08.2018 को अपराह्न 01.15 बजे से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बक्सर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान तथा प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर उपस्थित थे। निरीक्षण टिप्पणी निम्नवत् है–

1. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बक्सर, बक्सर प्रखण्ड अन्तर्गत जांसो पंचायत के मध्य विद्यालय, जासो के प्रांगण में अवस्थित है तथा इस विद्यालय का अपना भवन है, जो दो मंजिला है।

2. श्री लाल बाबु मिश्र, प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, जासो इस विद्यालय के संचालक है। विद्यालय में एक वार्डन सहित कुल 04 शिक्षिका कार्यरत है। वार्डन की नियुक्ति नहीं हुई है तथा उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय, सारीमपुर के शिक्षिका रुकसाना बेगम को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु बहुत पूर्व ही विज्ञापन निकाला गया था। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बक्सर को निदेशित किया गया कि विज्ञापन के आलोक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नियुक्ति का कार्य शीघ्र पूर्ण करायें।

(अनु0 : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बक्सर)

3. विद्यालय में कुल 100 छात्रा नामांकित है। निरीक्षण के दौरान 94 छात्रा उपस्थित बताई गई। शेष छात्रा अवकाश प्राप्त कर घर गयी हैं। निरीक्षण के दौरान 94 छात्राओं के बारे मे बताया गया कि वे पढ़ने गयी है जिसके कारण इस विद्यालय के गतिविधियों के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी। विद्यालय में दृष्टिबाधित 25 छात्राएँ नामांकित है। निरीक्षण के दौरान 16 छात्राएँ उपस्थित थी तथा इनको पढ़ाया जा रहा था। इनसे पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि कोई समस्या नहीं है। उन्हें अवगत कराया गया कि इस विद्यालय में एक शिकायत पेटिका रखा गया है, जिसमें लैंगिक उत्पीड़न एवं अन्य शिकायतों को लिख कर डाला जा सकता है। प्राप्त शिकायतों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की जाएगी। प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर को निदेशित किया गया कि इस पेटिका प्रति सप्ताह खोलना सुनिश्चित करेंगे तथा पाप्त पत्रों के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0: प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर)

4. सभी कमरों का निरीक्षण किया गया। इस क्रम में प्रकाश हेतु बल्ब की संख्या बढ़ाने का निदेश दिया गया। सावित्री कक्ष के दो पंखे बंद पाये गए तथा लुई ब्रेल कक्ष में अतिरिक्त पंखा की आवश्यकता है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बक्सर को निदेशित किया गया कि अपने–देख रेख में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था के साथ–साथ पंखों की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

(अनु0 : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बक्सर)

5. निरीक्षण के क्रम में कमरों में बदबू आ रहा था। वार्डन को निदेशित किया गया कि खिड़की खोलवाये ताकि ताजा हवा कमरे के अंदर प्रवेश करें। बेड का गद्दा काफी पुराना पाया गया। इस क्रम में प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया कि 2015 के बाद अभी तक गद्दा की आपूर्ति नहीं हुई है। ताकिया का खोल भी गंदा है। वार्डन को निदेशित किया गया कि छात्राओं के माध्यम से बेडसीट एवं तकिया का खोल की नियमित सफाई करायें। सभी कमरों के खिड़कियों (22) में जाली लगाये जाने की आवश्यकता है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बक्सर को निदेशित किया गया कि विद्यालय में गद्दे की व्यवस्था के साथ–साथ खिड़कियों में जाली की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

(अनु0 : वार्डन / प्रधाध्यापक / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बक्सर)

6. शौचालय का निरीक्षण किया गया। प्रथम तल पर कुल 04 शौचालय एवं 04 वाशरुम है, परन्तु इनमें प्रकाश की व्यवस्था नही है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बक्सर को निदेशित किया गया कि शौचालय एवं वाशरुम में प्रकाश की व्यवस्था करायेंगे। वार्डन को निदेशित किया गया कि शौचालयों की बेहतर तरीके से सफाई सुनिश्चित करायेंगे।

(अनु0 : वार्डन / प्रधानाध्यापक / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बक्सर)

7. भण्डार कक्ष एवं रसोई घर का निरीक्षण किया गया। भण्डार कक्ष में चावल, आटा, रिफाईन आलू एवं मसाला आदि रखे हुए पाए गए। रसोई घर के बाहर अवस्थित कुल 04 नल अकार्यरत पाए गए। इसी तरफ विद्यालय के आंगन में एक नाली है जो खुली हुई है, जिसे ढके जाने की आवश्यकता है। विद्यालय में RO की व्यवस्था नहीं है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बक्सर को निदेशित किया गया कि विद्यालय में उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

(अनु0 : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बक्सर)

8. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बक्सर को निदेशित किया गया कि विद्यालय में अलार्म वाली घड़ी की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे ताकि दृष्टिबाधित छात्राओं के साथ–साथ अन्य छात्राओं को समय की जानकारी हो सके।

(अनु0 : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बक्सर)

9. विद्यालय में भोजन के लिए प्रतिदिन का मेनू बनाया गया है। इसमें मांसाहारी भोजन की भी व्यवस्था है। प्रधानाध्यापक के द्वारा बताया गया कि जो छात्रा मांसाहारी भोजन नहीं करती है, उनके लिए उस दिन पनीर, मिठाई एवं अन्य व्यंजन की व्यवस्था की जाती है।

10. निरीक्षण पंजी का अवलोकन किया गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बक्सर के द्वारा अंतिम बार 18.07.2018 को इस विद्यालय का निरीक्षण किया गया है। प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि सप्ताह में कम–से–कम एक दिन इस विद्यालय का निश्चित रूप से निरीक्षण करें तथा निरीक्षण की टिप्पणी अधोहस्ताक्षरी सहित सभी संबंधित पदाधिकारियों को समर्पित करें। जिला शिक्षा

पदाधिकारी को भी प्रति माह निरीक्षण करने का निदेश दिया गया। निरीक्षण के दौरान भोजन की गुणवत्ता की भी जांच सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0 : प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर/
जिला कार्यक्रम पदा0, सर्व शिक्षा अभि0, बक्सर/
जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर)

11. अभिभावक शिक्षक बैठक की पंजी का अवलोकन किया गया। इस क्रम में पाया गया कि मार्च, अप्रैल एवं जून में बैठक आयोजित नहीं की गई है। जिससे स्पष्ट है कि अभिभावक–शिक्षक का नियमित तौर पर बैठक का आयोजन ही नहीं किया जा रहा है। प्रधानाध्यापक को निदेशित किया गया कि अभिभावक–शिक्षक बैठक का नियमित संचालन सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0 : प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, जासो)

12. विद्यालय में बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था की गई है, परन्तु निरीक्षण के दौरान यह अकार्यरत पाया गया। निदेशित किया गया कि संबंधित एजेंसी से तत्काल इसकी मरम्मति करा कर चालू करायें।

(अनु0 :प्रधानाध्यापक/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बक्सर)

13. विद्यालय में CCTV कैमरा लगाया गया है। निरीक्षण के दौरान यह कैमरा कार्यरत पाया गया, परन्तु जब विगत दिनों का रिकार्डिंग दिखाने को कहा गया तो वार्डन एवं प्रधानाध्यापक असमर्थ पाए गए। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बक्सर को निदेशित किया गया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के वार्डन को CCTV कैमरा संचालन के संबंध में रोस्टर बनाकर NIC में प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित करेंगे। जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि संबंधित वार्डन को आवश्यक प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0 : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी/
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बक्सर)

14. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 100 छात्राएँ नामांकित है। इनके स्वास्थ्य की नियमित तौर पर जांच आवश्यक है। इस संबंध में पृच्छा के आलोक में बताया गया कि विगत दो माह से स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच हेतु नहीं आई है। सिविल सर्जन को निदेशित किया जाता है कि सभी प्रखण्डों में अवस्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्राओं का स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से चिकित्सकों का दल भेजकर उनकी स्वास्थ्य की जांच नियमित तौर पर करायें।

(अनु0: सिविल सर्जन, बक्सर)

15. छात्राओं के आधार कार्ड बनाने की समीक्षा की गई। इस क्रम में बताया गया कि 70 प्रतिशत छात्राओं का आधार कार्ड बन गया है। निदेशित किया गया कि शेष छात्राओं का आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था करें।

(अनु0 : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बक्सर)

16. रोकड़बही का अवलोकन किया गया। जून 2018 तक ही अद्यतन है। पासबुक के अनुसार 1,58,557.00 रुपये उपलब्ध है तथा अंतिम बार 10000.00 रुपये की निकासी की गई है। प्रधानाध्यापक को निदेशित किया गया कि रोकड़ बही को अद्यतन करें।

मंतव्य :–

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 10-2620 गो0 दिनांक 16.8.18

प्रतिलिपि : वार्डन / प्रधानाध्यापक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर / जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बक्सर / जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, बक्सर / अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर / सिविल सर्जन, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।